असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

26 मार्च, 2012

Notice For Extraordinary General Meeting

26th March, 2012

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.

विषय-सूची
INDEX

सूचना	1	Notice	5
टिप्पणियाँ	2	Notes	6
व्याख्यात्मक कथन	3-4	Explanatory Statement	7-8
प्राक्सी फार्म	9	Form of Proxy	10
उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पास	11	Attendance Slip & Entry Pass	12
हरित पहल	13-14	Green Initiative	15-16

कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण तारीखें
IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम Event	तारीख Date
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फार्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy forms and resolutions for appointing authorised representatives	21 मार्च, 2012 21th March, 2012
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, समय और स्थान Date, time and venue of Extraordinary General Meeting	26 मार्च, 2012 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे -411 005. 26th March, 2012 at 10.30 a.m. Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक सोमवार दिनांक 26 मार्च 2012 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी -

1. निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :-

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है ।"

 क) भारत सरकार को अधिमान आधार पर कुल ₹ 860.00 करोड़ के ₹10/- के अंकित मूल्य के 15,33,25,013 तक के ईक्विटी शेयरों को नकद में ऐसे मूल्य पर जो सेबी, आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76 (1) के अनुसरण में बोर्ड द्वारा तय किए जाएं को उत्पन्न, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना ।

 ख) भारतीय जीवन बीमा निगम और/अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को अधिमान आधार पर कुल ₹135.10 करोड़ के ₹10/- के अंकित मूल्य के 2,40,85,627 तक के ईक्विटी शेयरों को नकद में ऐसे मूल्य पर जो सेबी, आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76 (4) के अनुसरण में बोर्ड द्वारा तय किए जाएं को उत्पन्न, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना ।

"प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 24 फरवरी 2012 है ।**"**

"प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसा अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा ।**"**

"यह प्रस्ताव भी है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश हेतु पात्र होंगे ।**"**

"यह प्रस्ताव भी है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा बोर्ड को ऐसे सभी कृत्य, कर्म, कार्य, मामले करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन या सहमति लेने या प्राधिकृत करने की इच्छा जो इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त हो, हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित हो ।**"**

"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक या बैंक का कोई अन्य अधिकारी जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझे प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।**"**

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

नरेन्द्र सिंह

(नरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे
दिनांक : 25.02.2012

टिप्पणियां

1. बैठक के व्यवसाय के संबंध में वास्तविक तथ्यों हेतु व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न है ।

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

 शेयरधारक जो बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र हैं वे अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक के पुणे स्थित मुख्यालय में असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात बुधवार, 21 मार्च 2012 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए ।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

 कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक किसी कंपनी या निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित सत्यप्रति है जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में असाधारण आम सभा की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2012 को या उससे पहले कार्यालय समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व जमा नहीं की जाती ।

4. **उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र**

 शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है । शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची आम सभा के स्थान पर देने की कृपा करें । प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि यथाप्रसंग उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर उल्लेख करें कि "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" ।

अध्याय VII (सेबीआईसीडीआर विनियम) की शर्तों के अधीन आवश्यक स्पष्टीकरण कथन या प्रकटन

क) वरीयता निर्गम के उद्देश्य -

पूंजी पर्याप्तता से संबद्ध बेसल (II और III) के अनुपालन की दृष्टि से पूंजी उगाहने की बढ़ती हुई आवश्यकता सदैव है । भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक को जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी का अनुपात न्यूनतम 9 % रखना अनिवार्य है। इसमें से कम से कम 6 % टियर - I पूंजी के लिए होना चाहिए । 31 मार्च 2011 के हमारे लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार हमारा कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.35 % था, जिसमें से 8.02 % पूंजी पर्याप्तता अनुपात टियर - I पूंजी के लिए था । 31.12.2011 को हमारा कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.75 % था जिसमें से 7.06 % पूंजी पर्याप्तता अनुपात टियर - I पूंजी के लिए था । बैंकों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार का बैंक में अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी लगाने का प्रस्ताव है । ऊगाही गई पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने तथा बैंक की सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को निधियुक्त करने के लिए किया जाएगा ।

ख) ईक्विटी शेयर का प्रस्तावित प्रस्ताव, बैंक के प्रवर्तक - भारत सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम और/अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाओं द्वारा अभिदत्त किया जाएगा ।

ग) निर्गम से पूर्व एवं पश्चात् शेयरधारिता पद्धति

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व (31.12.2011)		निर्गम के पश्चात (31.03.2012)	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क	**प्रवर्तक की धारिता**				
1	**प्रवर्तक**				
	भारत सरकार	38,17,12,553	79.24	53,50,37,566	81.17
	विदेशी प्रवर्तक				
2	**संगठित रूप से कार्यरत व्यक्ति**				
	उप जोड़	**38,17,12,553**	79.24	53,50,37,566	81.17
ख	**गैर प्रवर्तक धारिता**				
3	**संस्थागत निवेशक**				
क	म्युच्युअल फंड और यूटीआई	12,05,940	0.25	12,05,940	0.18
ख	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/राज्य सरकारी संस्थाएं/गैर-सरकारी संस्थाएं)	4,10,35,664	8.52	6,51,21,291	9.88
ग	वित्तीय संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	40,03,820	0.83	40,03,820	0.61
	उप जोड़	4,62,45,424	9.60	7,03,31,051	10.67
4	**अन्य**				
क	निजी कारपोरेट निकाय	69,63,367	1.45	69,63,367	1.06
ख	भारतीय जनता	4,57,64,810	9.50	4,57,64,810	6.94
ग	एनआरआई/ओसीबी	10,26,399	0.21	10,26,399	0.16
घ	अन्य कोई	-	-	-	-
	उप जोड़	**5,37,54,576**	**11.16**	**5,37,54,576**	**8.16**
	कुल जोड़	**48,17,12,553**	**100.00**	**65,91,23,193**	**100.00**

घ) बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमों में उल्लिखितानुसार निर्धारित समय सीमा में निर्गम की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु प्रयासरत है ।

ङ) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार, बैंक के प्रवर्तक और प्रमुख शेयरधारक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को करना प्रस्तावित है इसलिए नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

निर्गम से पूर्व एवं पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी ।

	शेयरों की संख्या	पूंजी से %
निर्गम से पूर्व (यथा 31 दिसंबर 2011)	38,17,12,553	79.24
निर्गम के पश्चात	53,50,37,566	81.17

निर्गम से पूर्व एवं पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी ।

	शेयरों की संख्या	पूंजी से %
निर्गम से पूर्व (यथा 31 दिसंबर 2011)	3,21,84,723	6.68
निर्गम के पश्चात	5,62,70,350	8.54

च) बैंक का ईक्विटी शेयर छः महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध है और तद्नुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

छ) भारत सरकार को जारी और आबंटित सभी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित शेयर आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अवरूद्ध रहेंगे ।

ज) केन्द्र सरकार के संपूर्ण पूर्व अधिमान धारिता ईक्विटी शेयर के आबंटन की तारीख से छह माह की अवधि के लिए अवरुद्ध होंगी जो की संबध्द तारीख से प्रारंभ होगी ।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है और इसे असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा ।

बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीकरण करार में विनिर्दिष्टानुसार ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीकरण की शर्तो का अनुपालन कर रहा है ।

भारत सरकार ने संबद्ध तारीख के पश्चात पिछले 6 महीनों के दौरान बैंक के कोई ईक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं ।

भारतीय जीवन बीमा निगम जनहित की एक बीमा कंपनी है इसे संबंधित तारीख के पश्चात छह महीनों के दौरान ईक्विटी शेयर न बेचने से संबंधित सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 72(2) के प्रावधान की छूट है ।

बैंक के किसी भी निदेशक का संकल्प से कोई संबंध नहीं है अथवा हित नहीं जुड़ा है ।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

नरेन्द्र सिंह

(नरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे
दिनांक : 25.02.2012

Bank of Maharashtra

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Monday, 26th March, 2012 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005 to transact the following business:

1. To consider and if thought fit pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution:

 "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution)

 A) To create, offer, issue and allot upto 15,33,25,013 equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at such Issue Price as may be determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ 860.00 crore on preferential basis to Government of India .

 B) To create, offer, issue and allot upto 2,40,85,627 equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at such Issue Price as may be determined by the Board in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ 135.10 Crore on preferential basis to LIC of India and / or various Schemes of LIC of India

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 24th February, 2012."

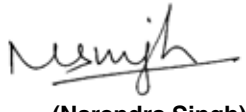
"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors



Place : Pune
Date : 25/02/2012

(Narendra Singh)
Chairman and Managing Director

Notes:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at Head Office, at Pune not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 05.00 p.m. on Wednesday, 21th March, 2012.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited with the Head Office of the Bank at Pune, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Wednesday, 21th March, 2012.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorized Representative” as the case may be.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII (SEBI ICDR Regulations)

a) Objects of the Preferential Issue

With a view to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. The Reserve Bank of India requires the Bank to maintain a minimum Capital to Risk- weighted Assets Ratio (CRAR) of 9%, at least 6% of which should consist of Tier-I capital. As per our Audited Financial Statements as of 31st March 2011, our total Capital Adequacy Ratio was 13.35%, out of which Tier-I capital Adequacy ratio was 8.02%. As at 31.12.2011, our total Capital Adequacy Ratio was 11.75 %, out of which Tier-I capital Adequacy Ratio was 7.06%. Government of India proposes to infuse additional equity capital into the Bank, to strengthen the banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

b) The proposed offer of equity shares will be subscribed by Government of India – the Promoter of the Bank, LIC of India and / or Schemes of LIC of India

c) Shareholding Pattern before and after the Issue :

Sr No	Category	Before the Issue (31.12.2011)		After the Issue (31.03.2012)	
		No. of shares held	% share holding	No of shares held	% share holding
A	**Promoter's Holding**				
1	**Promoters**				
	Govt of India	38,17,12,553	79.24	53,50,37,566	81.17
	Foreign Promoters				
2	**Persons acting in concert**				
	Sub total	**38,17,12,553**	**79.24**	**53,50,37,566**	**81.17**
B	**Non Promoter Holding**				
3	**Institutional Investors**				
A	Mutual funds & UTI	12,05,940	0.25	12,05,940	0.18
B	Banks, financial Institutions, Insurance companies, (Central/State Govt. Institutions/ Non –government Institutions)	4,10,35,664	8.52	6,51,21,291	9.88
C	FII	40,03,820	0.83	40,03,820	0.61
	Sub Total	**4,62,45,424**	**9.60**	**7,03,31,051**	**10.67**
4	**Others**				
A	Private Corporate Bodies	69,63,367	1.45	69,63,367	1.06
B	Indian Public	4,57,64,810	9.50	4,57,64,810	6.94
C	NRI/OCBs	10,26,399	0.21	10,26,399	0.16
D	Any Other				
	Sub Total	**5,37,54,576**	**11.16**	**5,37,54,576**	**8.16**
	Grand Total	**48,17,12,553**	**100**	**65,91,23,193**	**100.00**

d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations

e) As the issue is proposed to be made to the Government of India the major shareholder and Promoter of the Bank and LIC of India, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue (as on 31st December 2011)	38,17,12,553	79.24
Post Issue	53,50,37,566	81.17

The Pre and Post issue shareholding of the LIC of India would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue (as on 31st December 2011)	3,21,84,723	6.68
Post Issue	5,62,70,350	8.54

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

g) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years and shares allotted to LIC of India shall be locked in for a period of one year from the date of Allotment.

h) The entire pre-preferential holding of Central Government will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of allotment of equity shares.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

LIC of India being an insurance Company with Public Interest is exempt from the provisions of Regulation 72 (2) of the SEBI (ICDR) Regulations relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By order of the Board of Directors

Place : Pune
Date : 25/02/2012

(Narendra Singh)
Chairman and Managing Director

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डीपीआईडी क्र. और ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम_____निवासी_____

जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर,

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 26 मार्च, 2012 को अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में प्रात: 10.30 बजे होने वाली असाधारण सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं ।

वर्ष 2012 _____ के माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

रु. 1/- का राजस्व टिकट

(प्रॉक्सी का हस्ताक्षर)

प्रथम शेयरधारक/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रतिनिधि फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
 क) एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों,
 ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों,
 ग) एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों,
2. यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो ।
3. प्रतिनिधि फार्म,
 क) मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 ख) किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, के **चार दिन** के पूर्व अर्थात बुधवार 21 मार्च 2012 के कार्य समापन समय सायं 5.00 बजे के पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में जमा किया जाए ।
4. कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि उस पर विधिवत् स्टांप न लगाया गया हो ।
5. बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी ।
6. यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हो तो एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं किया जाएगा ।
7. एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
8. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक अधिकारी या कर्मचारी हो ।

BANK OF MAHARASHTRA

Head Office : Lokmangal, Shivaji Nagar, Pune– 411005

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)
DP ID & Client ID (If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholder(s) of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri /Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ **OR** failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of Maharashtra to be held on 26th March, 2012 at 10:30 A.M. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal'`, 1501, Shivajinagar Pune-411005 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2012.

Please Affix Re.1/- Revenue Stamp

_____ Signature of Proxy

_____ Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
3. The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the *Head Office of Bank of Maharashtra with* the General Manager, Investor Services, Bank of Maharashtra, Head Office 'Lokmangal'*,1501,* Shivajinagar, Pune 411 005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Wednesday, 21th March, 2012.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश द्वार पर सौंपी जानी है)

दिनांक - 26 मार्च, 2012

समय - सुबह 10.30 बजे

स्थान - अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

मैं एतद्द्वारा बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं ।

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो (अगर बेकागजीकृत नहीं है)	डीपीआईडी तथा ग्राहक आईडी (अगर बेकागजीकृत है)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

प्रवेश पर्ची

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाना है)

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो (अगर बेकागजीकृत नहीं है)	डीपीआईडी तथा ग्राहक आईडी (अगर बेकागजीकृत है)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारक/प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची को हॉल में प्रवेश करने के लिए बैंक के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप उचित प्रकार से हस्ताक्षर करके प्रवेश-पत्र के साथ प्रस्तुत करें। तथापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेशद्वार में उपस्थित पर्ची की नकल जारी नहीं की जाएगी ।

BANK OF MAHARASHTRA

Head Office : Lokmangal, Shivaji Nagar, Pune– 411005

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 26th March, 2012

Time : 10.30 A.M

Place : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar Pune-411005

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present	

Regd. Folio (If not dematerialised)	DP ID & Client ID (If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

BANK OF MAHARASHTRA

Head Office : Lokmangal, Shivaji Nagar, Pune– 411005

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present	

Regd. Folio (If not dematerialised)	DP ID & Client ID (If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

स्थान : पुणे

संदर्भ क्रं.: एएक्स1/आयएसडी/हरित पहल/2011-12 दिनांक: 17 फरवरी 2012

प्रिय शेयरधारक,

विषय : निगमित अभिशासन में हरित पहल - ई-मेल आईडी हेतु अनुरोध

1. निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने निगमित अभिशासन में "हरितपहल" करते हुए कंपनियों को यह अनुमति दी है कि वे अपने शेयरधारकों को नोटिस / दस्तावेज़ / अन्य संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजें.

2. मंत्रालय के इस कदम से कागज की खपत कम होगी, जिससे पेड़ बचेंगे, जोकि हरित पर्यावरण की दिशा में एक सार्थक योगदान होगा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दस्तावेज/संप्रेषण भेजने से लागत में तो पर्याप्त बचत होगी ही, साथ ही डाक में इनकी गुमशुदगी को टाला जा सकेगा और इनका तत्पर संप्रेषण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा. इस उद्देश्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों में आपका बहुमूल्य सहयोग प्रार्थनीय है.

3. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब से सभी संप्रेषण/दस्तावेज जैसे आम सभा की सूचना, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जमा किए गए लाभांशों संबंधी एनईसीएस की सूचनाएं, आदि आपके ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जो आपके द्वारा / आपके डिपाजिटरी द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है.

4. अत: हम आपसे निम्नानुसार अनुरोध करते हैं :

 - अगर आपके पास डीमैट फॉर्म में शेयर हों तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके निक्षेपागार सहयोगी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट) के पास आपका अद्यतन ई-मेल आई-डी हो.
 - अगर आपके पास भौतिक (फिजिकल) फॉर्म में शेयर्स हों तो अनुरोध है कि अपना ई-मेल आईडी अद्यतन कराने के लिए हमें हमारे उपर्युक्त पते पर या हमारे रजिस्ट्रार्स व शेयर अंतरण एजेंट एमसीएस लिमिटेड को निम्नलिखित पते पर लिखें:

 एमसीएस लिमिटेड, (यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) कार्यालय क्र. 21/22, तल मंजिल, काशीराम जमनादास भवन, 5, पी. डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई पिन 400 009. टेलीफोन : (022) 2372 6253-56, फैक्स : (022) 2372 6252 ई-मेल : mcspanvel@yahoo.com

 - कृपया जानकारी इस प्रकार दें :
 i) फोलियो क्रमांक/डीपी आईडी-ग्राहक आईडी :
 ii) प्रथम/एकमात्र शेयरधारक का नाम :
 iii) ई-मेल आईडी :
 iv) टेलीफोन/मोबाईल क्रमांक
 v) प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

5. इस संबंध में मांग करने पर आप उपर्युक्त मद क्र. (3) में दिए गए संप्रेषण/दस्तावेज की भौतिक प्रतियां भी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. ये दस्तावेज बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर निश्चित तिथि से पूर्व भी उपलब्ध होंगे तथा इसकी भौतिक प्रति निरीक्षण हेतु हमारे निवेशक सेवाएं विभाग में कार्यालय समय के दौरान भी उपलब्ध होगी.

6. कृपया उपर्युक्त जानकारियों में परिवर्तनों को निवेशक सेवाएं विभाग/एमसीएस लिमिटेड या अपने निक्षेपागार सहयोगी के साथ अद्यतन करें.

सधन्यवाद,

भवदीय,

महाप्रबंधक
निवेशक सेवाएं

स्थान :

दिनांक :

एमसीएस लिमिटेड
इकाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र
कार्यालय क्रं. 21/22 तल मंजिल
काशीराम जमनादास भवन
5, पी डि'मेलो रोड (घड़ियाल गोदी)
मस्जिद (ई), मुंबई पिन: 400 009
दूर: (022) 2372 6253-56, फैक्स: (022) 2372 6252
ई-मेल: mcspanvel@yahoo.com

प्रिय महोदय

विषय: शेयरधारक की जानकारी को अद्यतन करना

इसका संदर्भ दिनांक 17.02.2012 के आपके पत्र क्रं. एएक्स1/आईएसडी/हरित पहल/2011-12 से है जो शेयरधारक की जानकारी को अद्यतन करने के संबंध मे है । इसके द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से आपको संप्रेषण में सरलता होगी । मेरी / हमारी शेअरधारिता संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

I	फोलियो क्रं./डीपी आईडी- ग्राहक आई-डी	
2	प्रथम/एकल शेयर धारक का नाम	
3	ईमेल पता	
4	दूरभाष/मोबाईल क्रं.	
5	प्रथम/एकल शेयर धारक के हस्ताक्षर	

आप हमें सभी संप्रेषण उपर्युक्त ई-मेल पते पर भेज सकते हैं ।

भवदीय

प्रथम/एकल शेयर धारक का नाम/ हस्ताक्षर

(कृपया इस पृष्ठ को पृथक करें और यथोचित रूप से भर कर तथा हस्ताक्षर कर उक्त पते पर एमसीएस लिमि. को मेल करें)

BANK OF MAHARASHTRA

Head Office : Lokmangal, Shivaji Nagar, Pune– 411005

Place : Pune
Ref. No.: AX1/ISD/Greenin/2011-12 Date: February 17,2012

Dear Shareholder,

Re: Green Initiative in Corporate Governance – Request for Email ID

1. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has taken the "Green Initiative in Corporate Governance" thereby allowing companies to send notices/documents/other communications to their shareholders through electronic mode.
2. This move by the Ministry is going to reduce the consumption of paper and thereby save trees, which would significantly contribute to the cause of green environment. Besides saving substantially on the cost front, sending documents/communications by electronic mode also ensures prompt communication without their loss in transit. We solicit your valuable support in our efforts to contribute to this cause
3. We now would like to inform you that henceforth all future communications/documents, like Notices of General Meetings, Annual Reports including Audited Financial Statements, Directors Report, Auditors Report, NECS intimations of dividend credited etc will be sent to you in electronic mode at the e-mail address provided by you/made available to us by your Depositories.
4. We therefore request you as under:
 - In case you are holding shares in Demat form, please ensure that your e-mail Id with your Depository Participant is an updated one.
 - In case you are holding shares in physical form, you are requested to write to us at our above address or to MCS Ltd, our Registrars and Share Transfer Agents, at the address given below to update your e-mail Id:

 MCS Ltd., (Unit: Bank of Maharashtra) Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Building, 5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai: Pin: 400 009. Tel: (022) 2372 6253-56, Fax: (022) 2372 6252 e-mail: mcspanvel@yahoo.com

 - The information may please be given as under:
 i) Folio No./ DP ID-Client ID :
 ii) Name of the First/Sole Shareholder :
 iii) E-mail ID
 iv) Telephone/Mobile No :
 v) Signature of the first/sole shareholder :
5. You are also entitled to physical copies of the communication/documents said in (3) above, upon requisition in this regard. These documents will also be available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in prior to the mandatory date and physical copy will also be available for inspection during office hours at our Investor Services Department.
6. Please update the changes in said details with the Investor Services Dept/MCS Ltd or with your Depository Participants.

Thanking you,

Yours faithfully,

General Manger
Investor Services.

Place :

Date:

MCS Ltd.,
(Unit: Bank of Maharashtra)
Office No.21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Building,
5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi),
Masjid (E), Mumbai: Pin: 400 009.
Tel: (022) 2372 6253-56, Fax: (022) 2372 6252
e-mail: mcspanvel@yahoo.com

Dear Sir,

Re: Updating the shareholder information

This has reference to your letter No. AX1/ISD/Greenin/2011-12, dated 17th February 2012 on your request to update the shareholder information, to enable you send the communications through electronic media. The information in respect of my/our share holdings is as under:

I	Folio No./ DP ID-Client ID	
2	Name of the First/Sole Shareholder	
3	E-mail ID	
4	Telephone/Mobile No:	
5	Signature of the first/sole shareholder:	

You may send us the communication to the above e-mail Id.

Yours faithfully,

(Name & Signature of the first/sole shareholder)

(Please detach this page and mail to MCS Ltd, at the above address, duly filled and signed)

बुक-पोस्ट
BOOK - POST

सेवा में,
To,

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं :
मेसर्स एमसीएस लि.
यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र
आफिस नम्बर 21/22 भू-तल,
काशीराम जमनादास बिल्डिंग,
5 डिमेलो रोड (घडियाल गोदी),
मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009.

If undelivered please return to :
M/s. MCS Ltd.
Unit : Bank of Maharashtra
Office No. 21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Building,
5 D'mello Road (Ghadiyal Godi),
Masjid (East), Mumbai - 400 009.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

WPPL - 40317777
www.westernpress.in